सं. 1 से 8 तक के विरुद्ध एक संयुक्त कार्यवाही समाप्त मे लाने के आदेश दिये गये। संयुक्त सं. 9 स्टेट पैरोकार सरकार ने विपक्ष प्रकरण मे स्टेट को सम्पत्ति हस्तान्तरण होने तथा वादग्रस्त कृषि भूमि उभय पक्षकारान की स्वामित्वधारी की होने से सातहित प्रभावित नहीं होने से स्टेट की ओर से जवाब पेश करने की आवश्यकता नहीं होना बताते हुए पैरोकार सरकार के निवेदन पर संयुक्त सं. 9 स्टेट का जवाब न्यायालय द्वारा बन्द करने का आदेश दिया। प्रकरण मे सम्मिलित अन्य विपक्षी X-party होने से वकील पार्टी की एकपक्षीय कोविड बहस अर्थात् आदेश 212 R.T Act हेतु दि. 26-8-19 को पेश हो।

दि. 26-8-19 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। वकील पार्टी अर्थात् आदेश 212 R.T A पर कोविड बहस करने हेतु स्टाय चाहने से आगामी दि. स्टाय दिया जाय व पत्रावली कोविड बहस हेतु दि. 20-9-19 को पेश हो।

दि. 20-9-19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उप। वकील श्री प्रकाशचन्द्र तापड़ ने पार्टी की स्टेट से विषयहीन सम्बन्ध आदेश 212 R.T Act की विद्युतल स्टाय साईट दिया है। अतः रिजर्व रखते हुये नोटपेज विषयहीन प्रकरण को जरिये नोटपेज वकील पार्टी का विद्युतल स्टाय साईट रिजर्व रखते हुये नोटपेज मे चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। जिनके सरे ईहातान्त सुनाया। पत्रावली बैंच से कमांक होकर नंबर से कम हो।

Rebutted & Refuted
JMR
Not Press

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.21 15:07:27 IST
Reason: SelfAttested